



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय - अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

ई-मेल आईडी:- vanvikas12@gmail.com, वेबसाइट:- uafdc.in

पत्रांक -ए0- 3722  
सेवा में,

/सावधि जमा(Non-Callable)/प्रस्ताव आमंत्रण

दिनांक : 19 नवम्बर, 2025

मुख्य शाखा प्रबन्धक,

1. भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा, देहरादून।

3. बैंक ऑफ इण्डिया, देहरादून।

4. केनरा बैंक, देहरादून।

5. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, देहरादून।

6. इण्डियन बैंक, देहरादून।

7. इण्डियन ओवरसीस बैंक, देहरादून।

8. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, देहरादून।

9. पंजाब नैशनल बैंक, देहरादून।

10. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देहरादून।

11. यूको बैंक, देहरादून।

12. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, देहरादून।

13. एक्सिस बैंक, देहरादून।

14. एचडीएफएफ बैंक, देहरादून।

15. आईसीआईसीआई बैंक, देहरादून।

16. इण्डसइण्ड बैंक लिमिटेड, देहरादून।

17. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि0, देहरादून।

18. कोटक महिंद्रा बैंक, देहरादून।

19. नैनीताल बैंक लिमिटेड, देहरादून।

20. आईडीबीआई बैंक लि0, देहरादून।

21. एयूएस स्मॉल फाइनैस बैंक लि0, देहरादून।

**विषय:- बल्क सावधि जमा (Non-Callable) हेतु प्रस्ताव आमंत्रण के विषयांक।**

**सन्दर्भ:- इस कार्यालय की पत्र सं0-ए0-3677/सावधि जमा(Non-Callable)/प्रस्ताव आमंत्रण, दिनांक 18.11.2025**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा बल्क सावधि जमा (Non-Callable) हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु तकनीकी शर्तें निम्नवत् हैं:-

- 1- बैंक RBI की अधिसूचित सूची में सम्मिलित हो।
- 2- बैंक की रेटिंग कम से कम 2 रेटिंग एजेन्सीज द्वारा AA अथवा उससे अधिक हो।
- 3- बैंक का Net NPA 30 सितम्बर, 2025 (छमाई) को 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।
- 4- बैंक की शाखा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में होना आवश्यक है।
- 5- वित्तीय प्रस्ताव हेतु धनराशि का अलग-अलग निर्धारित प्रारूप में दिया जाना होगा।
- 6- बैंक का Capital adequacy Ratio 12 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर होना चाहिये।
- 7- बैंक 30 सितम्बर, 2025 एवं इससे पूर्व की 3 छमाई में लगातार लाभ में होना चाहिये।

तकनीकी शर्तों के सफल होने की दशा में ही सफल प्रस्तावको के वित्तीय प्रस्ताव समिति के समक्ष उसी दिन 3.00 बजे अपरान्ह खोले जायेंगे। तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव बैंको द्वारा अपने लैटर पेड पर हस्ताक्षर/सील सहित निर्धारित प्रारूप पर अलग-अलग बन्द लिफाओं में दिनांक 25.11.2025 अपरान्ह 5.00 बजे तक मुख्यालय में उपलब्ध करवाने होंगे। प्रस्ताव लिफाफे सील बन्द होंगे तथा उन पर स्पष्ट "बल्क सावधि जमा (Non-Callable) तकनीकी प्रस्ताव एवं बल्क सावधि जमा वित्तीय प्रस्ताव" (जैसा हो), अंकित करना होगा।

प्रस्ताव खोलने का समय:- तकनीकी प्रस्ताव - 12.00 बजे अपरान्ह

दिनांक - 27.11.2025

वित्तीय प्रस्ताव - 3.00 बजे अपरान्ह

दिनांक - 27.11.2025

सावधि जमा हेतु वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप:-

| समयावधि                           | सावधि जमा पर ब्याज दर (Non-Callable) |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                   | रु0 0-3 करोड़ तक                     | रु0 3 करोड़ से अधिक-रु0 5 करोड़ तक | रु0 5 करोड़ से अधिक-रु0 10 करोड़ तक | रु0 10 करोड़ से अधिक-रु0 15 करोड़ तक | रु0 15 करोड़ से अधिक-रु0 25 करोड़ तक | रु0 25 करोड़ से अधिक-रु0 50 करोड़ तक | रु0 50 करोड़ से अधिक-रु0 75 करोड़ तक | रु0 75 करोड़ से अधिक-रु0 100 करोड़ तक | रु0 100 करोड़ से अधिक |
| 61-91 दिन                         |                                      |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |
| 92-180 दिन                        |                                      |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |
| 181-270 दिन                       |                                      |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |
| 271-365 दिन                       |                                      |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |
| 365 दिन से अधिक                   |                                      |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |
| प्रस्तावित दरों की प्रभावी तिथि:- |                                      |                                    |                                     |                                      |                                      |                                      |                                      |                                       |                       |

प्रदीया,

(नीमा पकाल)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ए०:- 3722 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक (मुख्यालय), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक (मु०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. आईटी० सैल (मु०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र वन विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. भवन प्रभारी (मु०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून ।
6. नोटिस बोर्ड।

(नीना प्रवाल)  
प्रबन्ध निदेशक